[illegible] बनाम [illegible] वगैरह

प्रार्थना पत्र संख्या 57 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
16/5/19	यह वाद पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर सुनवाई हेतु अप्रार्थीगण को रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.05.2019 को पेश हो।
24/5/19	अप्रार्थी पेश हुये P. O. का चुनाव कार्य में व्यस्त है पेश की गई। ... कार्यवाही हेतु दिनांक 27/5/19 को पेश हो
27/5/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0/ अप्रार्थी सं0 1 की ओर से एड0 श्री राजेश कुमार पारीक ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल फाइल रहा। आपत्ति पेश करना चाहते हैं। आपत्ति व जवाब हेतु दिनांक 11/6/19 को पेश हो।
11/6/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से एड0 श्री राजेश कुमार पारीक ने वकालतनामा व दस्तावेज सूची एवं प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की जो शामिल रहे। उक्त आपत्ति पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। एड0 श्री राजेश कुमार पारीक ने प्रा0 पत्र की नकल दिलाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14/6/19 को पेश हो।
14/6/19	पत्रावली पेश हुई पूर्ववत (पत्रावली) वास्ते आदेश दिनांक 17/6/19 को पेश हो।
17/6/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। आपत्ति पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी श्री राजेश कुमार पारीक ने अपनी

प्रा.पत्र की नकल नहीं मिली दिलवाई जावे। Rajesh Kumar Pareek

बहस प्रस्तुत आपत्ति के कथनो को
दोहराते हुऐ कहा कि प्रार्थी ने ख०नं०10
की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। 10 के
खातेदार लल्लूराम, नाडदेवी, मोहरीदेवी
पप्पूलाल, गिरधारी, रामा, राधू, रुक्मा
गंगा, डालूराम, भगवान सहाय, रामकिशन,
मोहनलाल, नानगी है। जबकि डालूराम
ने मात्र लल्लूराम को पक्षकार बनाते हुए
प्रार्थना पत्र पेश किया है। अन्य खातेदारो
को पक्षकार नहीं बनाया है उनको बिना
सुने प्रकरण का निस्तारण नही किया जा
सकता।

ख०नं० 11 के खातेदार भगवान सहाय,
रामकिशोर, मोहनलाल, नानगी को पक्षकार
न बनाकर केवल लल्लूराम को पक्षकार
बनाया है। ऐसी स्थिति में ख०नं० 10 व 11
के सम्पूर्ण सहखातेदारो को पक्षकार बनाये
बिना प्रार्थना पत्र का निस्तारण सम्भव नही है
प्रार्थी ने ख०नं० 10 के पडोसी खातेदार
ख०नं० 7 व 9 के खातेदारो को भी पक्षकार
नहीं बनाया गया है प्रार्थना पत्र अपूर्ण है।
ख०नं० 10 सहखातेदारी भूमि है जिसका
विभाजन नहीं हुआ है जिसकी सीमाज्ञान
अकेले डालूराम द्वारा नही करवाया जा
सकता है ख०नं० 10 व 11 का नक्शा हाल
हुऐ सैटलमेन्ट के दौरान त्रुटिपूर्ण कायम कर
दिया गया है और ख०नं० 10 के पश्चिम दिशा
में रकबा जो ख०नं० 11 का भाग था को ख०नं०
10 में दर्शाया गया है। एवं 11 का रकबा कम
करके त्रुटिपूर्ण नक्शा कायम किया गया है
जिसकी दुरुस्ती बाबत विपक्षी प्रार्थी ने एवं भगवान
सहाय, रामकिशन, मोहनलाल, नानगी ने अन्तर्गत
धारा 132, 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना
पत्र पेश कर दिया है जिसमें श्रीमान न्यायालय
ने मौके की यथास्थिति बनाये रखने के
आदेश 4/0/19 को जारी किये है अतः पत्थरगढ़ी
करवाना सम्भव नहीं है आगामी कारणो से
सम्भव नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 128
LR Act को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है

डालूराम बनाम लालूराम

57/2011

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	प्रार्थी वकील श्री महेश शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया कि ख० नं० 10 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसकी चारों ओर की सीमाऐं को लेकर विवाद है पड़ोसी खातेदार द्वारा प्रार्थी के खातेदारी अनुसार उक्त भूमि को जबरन अपनी अन्य खसरा नम्बर की भूमि होने का कथन किया जा रहा है। जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के हक खातेदारी भूमि है इसलिये प्रार्थी की भूमि ख० नं० 10 की पत्थरगढ़ी मय पुलिस के किये जाने हेतु निवेदन किया है। हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है प्रार्थी ख० नं० 10 की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिसमें अप्रार्थी के रुप में लालूराम को पक्षकार ही बनाया है जबकि अन्य सहखातेदार और है उनको पक्षकार नहीं बनाया है ख० नं० 11 का नक्शा में त्रुटि है जिसका दुरुस्त होना भी आवश्यक है ख० नं० 10 के पड़ोसी काश्तकार ख० नं० 7, 9, 11 भी है उनको भी प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया गया है। ख० नं० 10 की भूमि का बटवारा नहीं हुआ है अकेले डालूराम के हक भूमि की पत्थरगढ़ी नहीं कराई जा सकती है इसलिये प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित समझते है। (हस्ताक्षर)	

फर्द अहकाम

डालूराम बनाम ललूराम

नाम न्यायालय

केस संख्या 52/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		अतः अप्रार्थी ललूराम की आरम्भिक आपत्तियां को स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र सं0 59/2019 उनवान ललूराम बनाम गाडोल्या में जारी स्टे आदेश को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 120 LR Act को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक [illegible]/6/2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible]रामगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2019.11.26 15:40:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: